

# उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण

(Uttarakhand Real Estate Regulatory Authority)

5<sup>th</sup> फ्लोर, राजीव गाँधी बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड  
दूरभाष 0135-2710348 ईमेल ukrrera2017@gmail.com


पत्रांक:- 1570 /

दिनांक:- 26 .03.2021

## महत्वपूर्ण सूचना

उत्तराखण्ड राज्य के सभी विल्डरों/प्रमोटरों, रियल इस्टेट एजेंटों, आवंटियों/फ्लैट क्रेताओं, रियल इस्टेट सेक्टर के अन्य हितधारकों एवं सर्वसाधारण जनता को यह सूचित किया जाता है कि भूसम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 85 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण ने दिनांक 25.03.2021 की बैठक में उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियम, 2021 अनुमोदित किए हैं जो इस पत्र के साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी में संलग्न हैं।

अनुलग्नक - यथोक्त।

  
(विष्णु कुमार)  
अध्यक्ष।

प्रतिलिपि- सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून/सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड भूसम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, देहरादून/मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून/सचिव, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0  
(विष्णु कुमार)  
अध्यक्ष।